

## एक नजर में

**वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहनसिंह चौहान ने नपाध्यक्ष को लिखा पत्र**

मंदसौर। नगरपालिका मन्दसौर की अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी गुर्जर को कांग्रेस नेता व वरिष्ठ अधिकारी मोहनसिंह चौहान ने पत्र लिखकर अवगत कराया कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी व प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू बस स्टैंड के उद्यान की सुद ली जावे। श्री चौहान ने लिखा कि उद्यान के रख-रखाव, पानी के अभाव में बगीचे की घास सूख चुकी है, बगीचे की कुर्सियां व बेंचे टूटी-फूटी होकर बगीचे में गंदगी है व कचरे का ढेर लगाना भी शुरू कर दिया है। बगीचे की सुरक्षा के लिये लगे लोहे के गेट, जालियां टूटी फूटी होकर आवारा पशु विचरण कर रहे हैं। श्री चौहान ने बताया है कि पं. दीनदयाल उपाध्याय उद्यान की तरह इस उद्यान को भी सुन्दर, सुव्यवस्थित विकसित किया जावे। किसी महापुरुष के बगीचे की उपेक्षा व भेदभाव नहीं करना चाहिये। पं. नेहरू की प्रतिमा अंधेरे में रहती है, बगीचे की अधिकांश लाइट भी बंद है। पत्र की प्रतिनिधि विधायक विपिन जैन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री महेंद्रसिंह गुर्जर, नपा नेता प्रतिपक्ष रफत परामी व शहर कांग्रेस अध्यक्ष ईप्ता भावावत को भी भेजकर इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है।

**सीएमओ प्रेम कुमार सुमन का नगरपालिका कार्यालय में आकस्मिक निरीक्षण**



मंदसौर। मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रेम कुमार सुमन ने नगरपालिका कार्यालय भवन में संचालित विभिन्न शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली का जायजा लेते हुए कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएमओ सुमन ने प्रभारी कार्यालय अधीक्षक अजय मारोडिया के साथ सभी शाखाओं का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की फाइल लॉकित न रहे और सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि आम जनता के साथ कर्मचारियों का व्यवहार सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक होना चाहिए, ताकि लोगों को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि नगरपालिका परिषद और नपाध्यक्ष श्रीमती गुर्जर की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए जनहित को प्राथमिकता दी जाए। निरीक्षण के दौरान भोजन अवकाश की निर्धारित समयवधि समाप्त होने के बाद भी दो कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर सीएमओ ने संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र (सीबीटी) जारी करने के निर्देश दिए। सीएमओ सुमन ने सभी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही और अशासनसूहीता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा जनसेवा में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है।

## बीकानेर घटना के विरोध में सेन समाज का प्रदर्शन

**गरोट-शामगढ़ में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा**

गरोट/शामगढ़। राजस्थान के बीकानेर जिले में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म एवं हत्या की दर्दनाक घटना के विरोध में सेन समाज संगठन द्वारा मंगलवार को गरोट और शामगढ़ में प्रदर्शन कर कड़ा आक्रोश जताया गया। समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों को कठोरतम दंड देने की मांग की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 फरवरी 2026 को राजस्थान के बीकानेर जिले के रणजीतपुर (बन्जु क्षेत्र) गांव में आठवीं कक्षा की लगभग 13 वर्षीय छात्रा परीक्षा देने घर से निकली थी, जिसके बाद नहर के पास झाड़ियों में उसका अर्धनग्न शव मिला। प्रारंभिक जांच में अपहरण के बाद दुष्कर्म और गला घोटकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। इस जघन्य घटना को लेकर समाज में भारी रोष व्याप्त है। घटना के विरोध में सेन समाज ने गरोट में



नायब तहसीलदार रघुनाथ मचार एवं शामगढ़ में नगर नायब तहसीलदार इंस्यहीन कराड़ी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाज के सदस्यों ने बाइक रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन में मांग की गई कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दी जाए, ताकि समाज में

सख्त संदेश जाए। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष विजय भाटिया, जिला अध्यक्ष संजय चौहान, सतीश गुजराती, संदीप सिसोदिया, जितेंद्र गहलोत, दिलीप गुजराती, लक्ष्मी नारायण भाटिया, किशोर गुजराती, कैलाश सेन एवं भगवान सिंह सेन सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। पुलिस ने

मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी (पीड़िता का चचेरा भाई) को गिरफ्तार कर जांच प्रारंभ कर दी है। वहीं इस घटना को लेकर महिला एवं नाबालिग सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। समाज के लोगों ने दोषियों के खिलाफ त्वरित न्याय एवं कड़ी सजा की मांग की है।



## जनसुनवाई में अधिकारियों ने तत्परता से सुनी 58 आवेदकों की समस्याएं

मंदसौर। जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन ने 58 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आम नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए एवं कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परेशान न हो।

जनसुनवाई के दौरान आए विभिन्न प्रकरणों में त्वरित निर्देश जारी किए गए। मंदसौर निवासी लक्ष्मण ने विद्युत पोल को अ-2य स्थान पर लगवाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन में कार्यवाही करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर एमपीडीबी मंदसौर को जांच कर आवश्यक

कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कुरावन निवासी भंवरलाल ने भूराजस्व में नाम सुधारने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर एसडीएम गरोट को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। नारायणगढ़ निवासी दुर्गाप्रसाद ने मंदिर की कृषि भूमि से अतिक्रमण हटवाने के संबंध में आवेदन दिया। जिस पर एसडीएम महारगढ़ को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जनसुनवाई में विद्युत पोल को अ-2य स्थान पर लगवाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन में कार्यवाही करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर एमपीडीबी मंदसौर को जांच कर आवश्यक

## एक नजर

**कृषि वर्ष 2026 में उद्योगों को बढ़ावा**

## जिले में 350 नवीन इकाइयाँ प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना से लाभान्वित

मंदसौर। कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने एवं किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक श्री मंगल रायकवार ने बताया कि जिले में खाद्य प्रसंस्करण एवं लघु उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।



उन्होंने बताया कि 24 फरवरी 2025 के बाद स्थापित पात्र नई औद्योगिक इकाइयों, जिनमें 10 करोड़ रुपये तक का निवेश किया गया है, को संयंत्र, मशीनरी एवं भवन में किए गए पात्र निवेश पर 40 प्रतिशत उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जा रहा है। यह अनुदान 4 समान वार्षिक किस्तों में वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार 10 करोड़

रुपये से अधिक निवेश वाली नई औद्योगिक इकाइयों को पात्र निवेश पर 60 प्रतिशत उद्योग विकास अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जिसे 7 समान वार्षिक किस्तों में वितरित किया जाएगा। साथ ही इन इकाइयों को 5 वर्षों तक 50 प्रतिशत मंडी टैक्स में सहायता भी प्रदान की जा रही है।

प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 35 प्रतिशत तक अनुदान (अधिकतम 10 लाख रुपये) तथा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। महाप्रबंधक श्री रायकवार ने बताया कि कृषि वर्ष 2026 के दौरान जिले की लगभग 350 नवीन इकाइयाँ प्रधानमंत्री

खाद्य प्रसंस्करण योजना से लाभान्वित हुई हैं तथा 5 इकाइयाँ उद्योग संवर्धन योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने जिले के उद्यमियों एवं किसानों से शासन की योजनाओं का लाभ लेकर कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने का आह्वान किया।

## नीमच

## एक नजर में

**चीताखेड़ा, जनकपुर एवं मनासा में आयुर्वेद चिकित्सा शिविर संपन्न**



नीमच। आयुष विभाग द्वारा निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर मंगलवार को चीताखेड़ा, जनकपुर एवं मनासा में आयोजित किया गया। शिविर में आमवात, संधिवात, त्वचा रोग, उदर रोग, विषंघ, श्वास, कास, प्रतिरोग, रक्त अल्पता, उच्च रक्तचाप, अर्श गैस अल्पता, त्वक रोग, हृदय प्रमेह, आदि बीमारियों की जांच कर निःशुल्क औषधियां वितरित की गईं। चीताखेड़ा में 81, जनकपुर में 78 एवं मनासा में 59 रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है। शिविर में डॉ. नाथ सिंह मोर्य डॉ. विवेक शर्मा, डॉ. धीरज डवर् एवं डॉ. मदनलाल पाटीदार, डॉ. तारेन्द्र सिंह सोनगर, आयुष स्टाफ एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी हैं।

**कनावटी की चरनोई भूमि पर 'करोड़ों' का खेल**



नीमच। जिला मुख्यालय से करीब दूरी के फिलोमीटर दूर ग्राम कनावटी में शासकीय चरनोई भूमि पर कथित कब्जे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता ओमप्रकाश कंडार ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजस्व अमले और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन के अनुसार सर्वे नंबर 665/1/2 की 3.200 हेक्टर चरनोई भूमि पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा 2 मार्च 2025 को अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह भूमि पूर्व में आजीविका के उद्देश्य से पट्टे पर दी गई थी, परंतु बाद में राजस्व अभिलेखों में कथित हेरफेर कर इसे अवैध रूप से हस्तान्तरित कर दिया गया। ओमप्रकाश कंडार का कहना है कि क्षेत्र में जमीनों के बढ़ते दामों को देखते हुए इस भूमि की बाजार कीमत करोड़ों रुपये आती जा रही है, जिसके चलते आर्थिक लाभ के उद्देश्य से कब्जा बरकरार रखा गया है। उन्होंने बताया कि 17 जनवरी 2026 को एक इच्छाशुद्ध पर भी शिकयत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में मांग की गई है कि चरनोई भूमि से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाए और दोषी पाए जाने पर संबंधित पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार एवं पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

## कलेक्टर ने की जनसुनवाई- 103 आवेदकों की सुनी समस्याएं

नीमच। कलेक्टर डे सभाकक्ष नीमच में मंगलवार को जनसुनवाई करते हुए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने 103 आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, डिप्टी कलेक्टर श्री चंद्रसिंह धार्व एवं सुश्री श्रुति भयंडिया व जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में सोनियाणा के गेंदमल, बरूखेड़ा की मुन्नीबाई, मनासा की चंदाबाई, इंदौर नगर नीमच की इंदिराबाई, बंगरोड की हर्षिता लोहार, नीमच के अनिल दुआ, जाट की कोशल्याबाई, बिसलवास सोनिगरा के मोहनलाल, चंडौल के शैलेन्द्र सिंह, बघाना के मांगोलाल, सरवानिया महाराज की गीताबाई, बावल नई के बालूराम, सेमली चंद्रावत के मोहनलाल, सुवाखेड़ा के राजेश नायक, विकास नगर नीमच के रमेशचंद्र सांखला, दुरगपुरा की शांतिबाई, ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत कर, अपनी समस्याएं सुनाईं।

जनसुनवाई में मनासा रामपुरिया के वार्ड नंबर 13 की प्रिया सोलंकी ने बगैर सूचना के न.प.प्रशासन द्वारा उसकी झुग्गी तोड़कर नुकसान पहुंचाने पर मुआवजा दिलाते और झुग्गी के स्थान पर अन्यत्र विस्थापित करने का अनुरोध किया। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम मनासा एवं सीएमओ मनासा को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।



जनसुनवाई में रामपुरिया के कमलेश मालवीय ने बैसला में एक निजी चिकित्सक द्वारा अवैध रूप से क्लीनिक संचालित कर आमजनों के

स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने संबंधी आवेदन पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बैसला के उक्त क्लीनिक पर टीम भेजकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में मनासा के राहुल, रतनगढ़ के चंदलाल चारण, भादवामाता के मोनु रंगर, इमलीबाग उषागंज कालोनी मनासा के नसीम बी, गणेशपुरा की गीताबाई, भाटखेड़ी की पुजा बंजारा, डायली की इंद्राबाई, पालाखेड़ा के अमृत नागदा, आमलीचक की मुनाबाई, जवासा की

मायाबाई, मनासा की भागवतीबाई, बघाना के दिनेश, अम्बेडकर कॉलोनी नीमच की शांतिबाई, फूलपुरा के सुरेशचंद्र शर्मा, आमली चक की कालीबाई, धामनिया के बादल सालवी, मनासा के राधेश्याम, दारू के जमनालाल, ने भी जनसुनवाई में अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने प्राप्त सभी आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।



## अस्थाई कर्मचारियों की एकता बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन

**नियमितकरण की उठी मांग**

नीमच। दैवेभो, आउटसोर्स, ठेका, संचिदा एवं विनियमित कर्मों एकता यूनियन के सचिव गोपाल बोरीवल ने प्रेस विज्ञापित कर बताया कि नगरपालिका में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, संचिदा एवं विनियमित कर्मचारियों की बैठक 22 फरवरी 2026 को स्थानीय गांधी वाटिका में आयोजित की गई। बैठक में बाग-बगीचा, व्हीकल शाखा, निर्माण शाखा, जलकल, पथ प्रकाश तथा कार्यालय में कार्यरत संचिदा, ठेका, विनियमित एवं अस्थायी श्रेणी के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता शहजाद खान ने की।

अध्यक्ष पद पर चंद्रपाल सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष पद पर मुकेश बोरीवल एवं सुनील परमार, सचिव गोपाल बोरीवल, सह सचिव बापू सिंह राजपूत, संगठन सचिव मोहम्मद अकील तथा कोषाध्यक्ष सीरध चौहान को चुना गया। कार्यकारिणी में लोकेश सोनी, रवि शर्मा, शक्ति सिंह, मनीष जोशी, गौतम धनगर, दीपक माली, अर्जुन मोर्य, सलामत खान, चेतन कुमार, राजेश मालवीय, चूनीलाल, विशाल चौहान, शेख चौहान, महेन्द्र बोरीवल, जितेंद्र सिंह, प्रवीण पटेल, पन्नालाल मीणा, प्रेमचंद्र, शहराज खान एवं देवेन्द्र सिंह राणावत को शामिल किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अस्थायी श्रेणी के सभी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए संगठन सक्रिय रूप से कार्य करेगा।

बैठक में संगठन के नए पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी का निर्वाचन किया गया। सर्वसम्मति से

## एक नजर

**खाद्य तेल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित कर, 2 से 3 लाख रुपये की मासिक आय प्राप्त**

## प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का मिला लाभ, गृहणी से सफल उद्यमी बनी प्रेमलता

नीमच। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लाभ लेकर नीमच विकासखण्ड के गांव बमोरा की एक गृहणी श्रीमती प्रेमलता पाटीदार 23.61 लाख रुपये राशि से बालाजी उद्योग के नाम से खाद्य तेल प्रसंस्करण उद्योग ईकाई स्थापित कर उसका सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। बमोरा निवासी श्रीमती प्रेमलता पाटीदार, उद्यमिकी विभाग के सहयोग से पी.एम.एफ.एम.ई. योजना के तहत खाद्य तेल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित कर आज एक गृहणी से सफल महिला उद्यमी बन गई हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग

उन्नयन योजना के तहत श्रीमती प्रेमलता ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक शाखा जीरन से 20 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया है। इस पर उन्हें शासन की ओर से 8.26 लाख रुपये का अनुदान भी मिला है। इस राशि से उन्होंने बालाजी लघु उद्योग के नाम से अपना स्वयं का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित कर, ब्राण्डनेम गोपाल कृष्ण (कोकोनेट आईल) पंजीकृत करवाकर, अपना स्वयं का प्रसंस्करित खाद्य तेल तैयार कर, अपने उत्पाद को विक्रय कर, प्रति माह दो से तीन लाख रुपये की आय



प्राप्त कर रही है। श्रीमती प्रेमलता पाटीदार ने पीएमएफएमई योजना का लाभ लेकर न केवल अपने स्वयं का लघु उद्योग स्थापित कर, अपना रोजगार सृजित किया है। बल्कि अन्य 5 से 7 अन्य स्थानीय लोगों को भी अपने उद्योग में रोजगार उपलब्ध करवा रही है। श्रीमती प्रेमलता पाटीदार पीएमएफएमई योजना से मिले लाभ से आज गृहणी से सफल उद्यमी बन गई हैं। उन्होंने आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह चुन ली हैं। वे आज अपने परिवार और क्षेत्र की समृद्धि में अपना योगदान भी दे रही हैं। उनका मासिक

टर्न ओवर लगभग 8 से 10 लाख रुपये है और वे इस उद्योग से प्रतिमाह दो से तीन लाख रुपये की शुद्ध आय प्राप्त कर रही हैं। उल्लेखनीय है, कि कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में नीमच जिले में पी.एम.एफ.एम.ई. योजना के तहत अब तक कुल 210 हितग्राहियों को लाभांशित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 125 हितग्राहियों को लाभांशित कर, नवीन उद्योग इकाइयाँ स्थापित करवाई गई हैं। इस योजना के क्रियान्वयन में नीमच जिला प्रदेश एवं संभाग के अग्रणी जिलों में शामिल हैं।